28/6/2016 "ग्राम आयोजन अभियान 2016" के तहत आज सामुदायिक भवन खुवलदेव पर आयोजित लोक अदालत कैम्प में प्रकरण के उभय पक्षकारों ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि यद्यपि उक्त इन्द्राज मामले में आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 14.7.2016 नियत है लेकिन हम उभय पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकरण में निहित आपसी विवाद को मौके पर सुलझा लिया है तथा हम उभय पक्षकार आज ही लोक अदालत में मामले को निस्तारित कराना चाहते हैं, अतः पत्रावली में आज ही सुनवाई करने हेतु पत्रावली को तलब कराना फरमावें।

उभय पक्षकारों के निवेदन पर पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारों द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र मय "राजीनामा" प्रपत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उक्त इन्द्राज मामले में ग्राम-खुवलदेव की वादग्रस्त भूमि आ. नं. 4859/1530 रकबा 0.20 हैक्टे., आ. नं. 4860/1536 रकबा 0.30 हैक्टे. एवं आ. नं. 4861/1538 रकबा 0.20 हैक्टे. कुल कीता-3 रकबा 0.70 हैक्टे. भूमि बाबत् विवाद को कोर्ट के बाहर लोक अदालत की भावना से, आपसी राजीनामे से सुलझा लिया गया है। यह भी कि यदि ग्राम पंचायत खुवलदेव आंगनवाड़ी केन्द्र भादुड़ीफला हेतु उपखण्ड अधिकारी खुवलदेव द्वारा आवंटित ग्राम-खुवलदेव की आ.नं. 1536 रकबा 0.03 हैक्टे. भूमि पर आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करे तो हम वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

[signature]

(100)

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

श्री रमेश विपक्षी श्री शिवलाल

मुकदमा रा-वाद पत्रावली संख्या 230 सन् 2015

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
इस प्रकार अब हम उभय पक्षकारो के मध्य उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् कोई विवाद मौके पर शेष नहीं रहा है तथा हम वादीगण अब प्रतिवादी के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः उक्त इनवान मामले को इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे।	हेसादेवी रमेश Shivlal
हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा उभय पक्षकारो द्वारा संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षरो से निष्पादित प्रार्थना-पत्र मय राजीनामा प्रपत्र का अवलोकन किया तथा उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना। चूंकि उभय पक्षकारो के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने विवाद को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया है तथा अब उनके मध्य कोई विवाद मौके पर शेष नहीं रहा है, साथ ही वादीगण को आंगनवाडी केन्द्र भाटुडीफला हेतु उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा आवंटित ग्राम-धुलेव की आ.नं. 1536 रकबा 0.03 हेक्टे. भूमि पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा आंगनवाडी भवन का निर्माण किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि उभय पक्षकारो के मध्य सुलह हो गई है तथा वे इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त कराना चाहते हैं, अतः ...	

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निष्पादित राजीनामा प्रपत्र को रिकार्ड पर लिया जाकर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, ऋषभदेव
जिला- उदयपुर

Scanned by CamScanner